उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 226119

<u>लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	लखनऊ
3.	ग्राम	:	अहमामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–932, 1012, 1013, 1036
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.389 हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 228111

-2-

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग / कुआं / अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 6,13,818 /–
11.	मालियत	:	रू0 6,40,500 /–
12.	स्टाम्प	:	रू0 61,400 /–

चौहद्दी

खसरा नं0 832

पूरब : खसरा संख्या– 823

पश्चिम : खसरा संख्या– 826

उत्तर : खसरा संख्या– 827

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 228112

दक्षिण : खसरा संख्या– 834

खसरा नं0 1012

पूरब : खसरा संख्या– 1009
पश्चिम : खसरा संख्या– 1014
उत्तर : खसरा संख्या– 1011
दक्षिण : खसरा संख्या– 1013

खसरा नं0 1013

पूरब : खसरा संख्या– 1009
पश्चिम : खसरा संख्या– 1014
उत्तर : खसरा संख्या– 1012
दक्षिण : खसरा संख्या– 1051

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 077200

<u>खसरा नं0 1038</u>

पूरब : खसरा संख्या– 1037

पश्चिम : खसरा संख्या– 1022

उत्तर : खसरा संख्या– 1021

दक्षिण : खसरा संख्या– 1040

प्रथम पक्ष की संख्या–01 | द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
राम औतार पुत्र श्री भगवानदीन निवासी–ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि	:	भगवानदीन पुत्र बली कोरी, निवासी–मिर्जापुर, मिठारी, पोस्ट–रामगाव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम औतार पुत्र श्री भगवानदीन निवासी ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् भगवानदीन पुत्र बली कोरी, निवासी–मिर्जापुर गिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 324632

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–632 रकबा 0.139 हेक्टेअर, व खसरा संख्या–1012 रकबा 0.053 हेक्टेअर, खसरा संख्या–1013 रकबा 0.074 हेक्टेअर, तीन किता व रकबा 0.266 हेक्टेअर का 1/2 भाग अर्थात 0.133 हेक्टेअर, व खसरा संख्या–1038 रकबा 0.233 हेक्टेअर, इस प्रकार कुल चार किता व कुल रकबा 0.366 स्थित–ग्राम– अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सम्बन्धित भदवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00357

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 324633

5 DEC 2006

A.T.O.
T.R.Y. LKO.

के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

324631

5 DEC 2004

A.TO/T.O. TRY.LKO.

साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 8,13,818/– (रूपया आठ लाख

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 982278

तेरह हजार छः सौ अट्ठारह मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता भगवानदीन पुत्र बली कोरी, निवासी–मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ०प्र० के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है को बनाई बेच

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 957279

दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 387258

प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 987281

अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। जिसके लिए विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम आलमनगर अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट भाग के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.368 हेक्टेयर की मालियत रू0 6,44,000/– होता है, चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 81,000/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

[illegible]

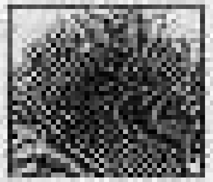

[illegible]

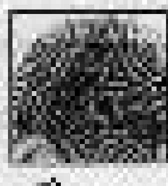

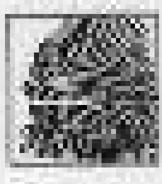

[illegible]

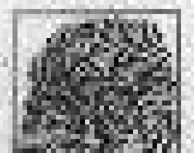

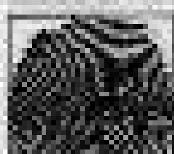

[illegible]

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–832 रकबा 0.133 हेक्टेयर, व खसरा संख्या–1012 रकबा 0.059 हेक्टेयर, खसरा संख्या–1013 रकबा 0.074 हेक्टेयर, तीन किता व रकबा 0.266 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात 0.133 हेक्टेयर, व खसरा संख्या–1088 रकबा 0.233 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल चार किता व कुल रकबा 0.366 स्थित–ग्राम– अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रु0 5,00,000/– (रुपया पाँच लाख मात्र) द्वारा चेक संख्या 471763 दिनांकित 06.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

2. विक्रेता ने रु0 3,13,618/– (रुपया तीन लाख तेरह हजार छः सौ अट्ठारह मात्र) द्वारा चेक संख्या 471764 दिनांकित 06.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

[illegible]

Registration No : [illegible]   Year : [illegible]   Book No. [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

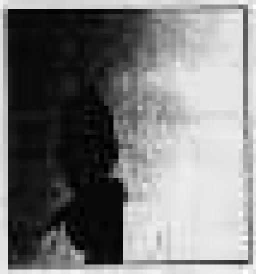

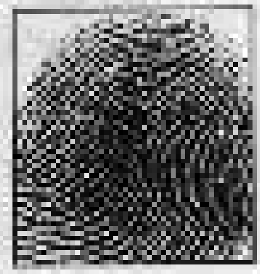

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 8,13,618/- (रूपया आठ लाख तेरह, हजार छः सौ अट्ठारह मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

नोट:- पृष्ठ सं0 2,3 व 4 पर खसरा सं0 892, 1012, 1013 व 1036 की चौहद्दी पेन से लिखी गयी है।

लखनऊ

दिनांक: 06.12.2006

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अनवर हुसैन)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता / विक्रेता का नाम व पता:- [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

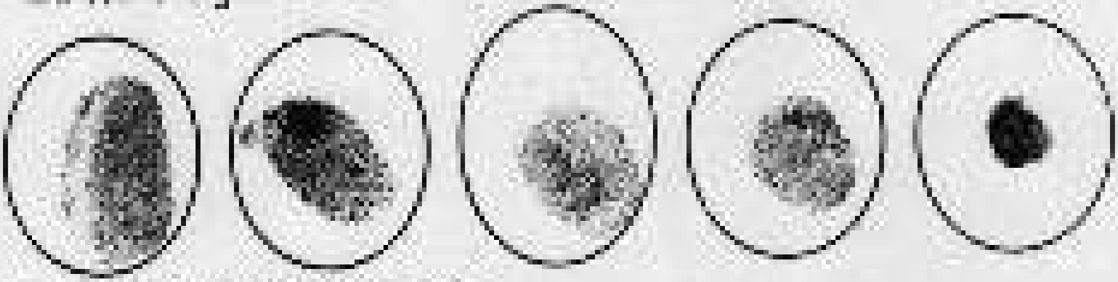

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

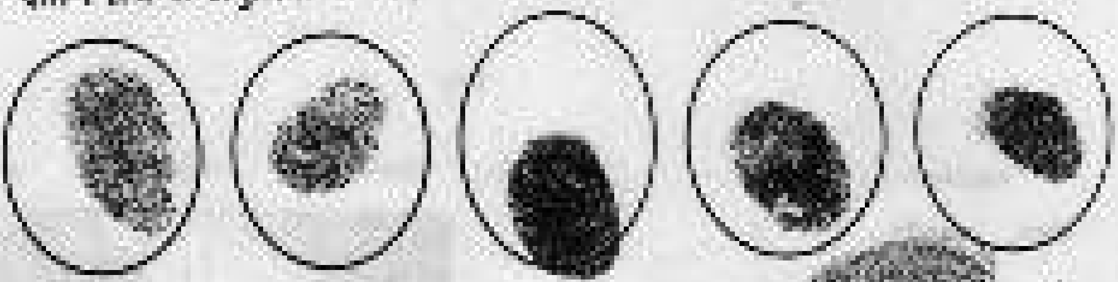

[illegible]
क्रेता / विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:- [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

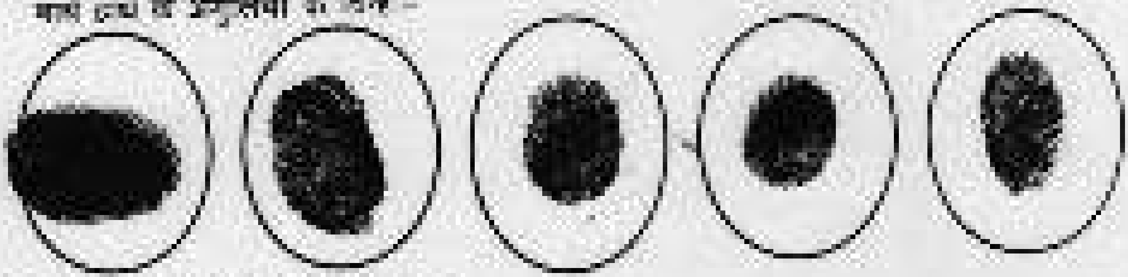

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

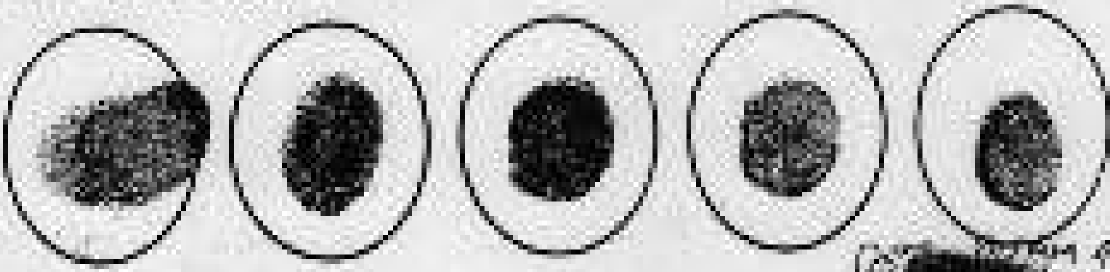

[illegible]
विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. 11215 Year : 2006 Book No.

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

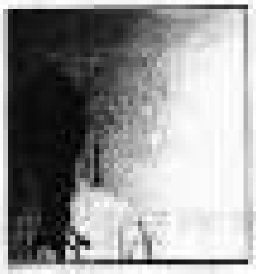

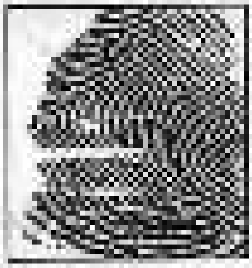

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या– 481, 1012, 1013, 1036

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित सम्बद्ध सम्पत्तियों का विवरण

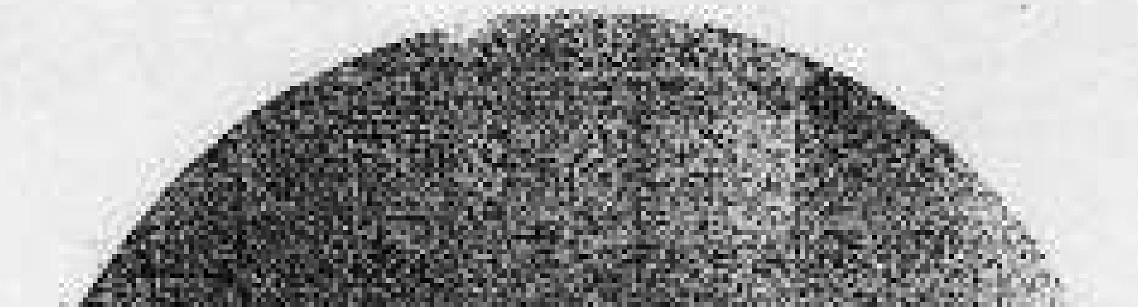

[illegible] [illegible]

आज दिनांक 06/12/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 6233

पृष्ठ सं 1 से 34 पर क्रमांक 11319

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी. सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

6/12/2006